



BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026

विकास की ओर अग्रसर एमएसएमई सेक्टर के लिए सुधार

अगस्त 11, 2026

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026, अगस्त 2026 में संसद ने पारित किया था। यह विधेयक एमएसएमई क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप मौजूदा एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों को अपडेट करता है। संशोधनों का उद्देश्य भुगतान संबंधी बाधाएं कम करना, विवाद समाधान को अधिक समयबद्ध बनाना और अनुपालन को सरल बनाना है। उनका व्यापक उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास, प्रगति और प्रतिस्पर्धात्मकता को सुगम बनाना है, साथ ही व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है।

प्रस्तावना

एमएसएमई विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 को संसद की ओर से अगस्त 2026 में पारित किया गया था। इस संशोधन का महत्व भारत की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की बढ़ती भूमिका से पैदा होता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (एमएसएमईडी अधिनियम) को 2006 में अधिसूचित किया गया था। तब से, एमएसएमई इकोसिस्टम का विस्तार पैमाने, विविधता और डिजिटल पहुंच के मामले में हुआ है।



आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, एमएसएमई का जीडीपी में योगदान 31.1%, विनिर्माण उत्पादन में 35.4% और निर्यात में 48.58% रहा। अगस्त 2026 तक, उद्यम प्लेटफॉर्म पर 9.16 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत हैं, जिनमें 40 करोड़ से अधिक लोग कार्यरत हैं। तकनीकी प्रगति और आईटी-आधारित प्रणालियों ने एमएसएमई परिदृश्य को और भी बदल दिया है। ये उद्यम अब ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं और औपचारिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अधिक सक्रिय तौर पर भाग लेते हैं।

एमएसएमई विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 इसी आधार पर बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्षेत्र की बदलती जरूरतों और बढ़ते आर्थिक महत्व के अनुरूप कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करना है।

Key Areas of Reform under MSME Development (Amendment) Bill, 2026



विधेयक में किए गए बदलाव

2026 का विधेयक एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के कुछ विशिष्ट प्रावधानों में संशोधन करता है। सुधार के प्रमुख क्षेत्रों का विवरण नीचे दिया गया है:

सुधार के क्षेत्र	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026
एमएसएमई वर्गीकरण	एमएसएमई का वर्गीकरण निम्नलिखित के लिए निर्धारित निवेश सीमा के आधार पर किया जाता है: विनिर्माण में संयंत्र और	एमएसएमई को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है: संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश; और कारोबार।

	मशीनरी; और सेवाओं में उपकरण।	
एमएसएमई पंजीकरण	विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत मध्यम उद्यमों को निर्दिष्ट प्राधिकरण के समक्ष ज्ञापन दाखिल करना अनिवार्य है। अन्य लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए ज्ञापन दाखिल करना स्वैच्छिक है।	इस विधेयक के तहत सभी लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ज्ञापन दाखिल करना निःशुल्क और स्वैच्छिक होगा। केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए एक राष्ट्रीय मंच अधिसूचित करेगी। राज्य सरकारें भी राज्य स्तरीय डिजिटल मंच अधिसूचित कर सकती हैं।
ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) के माध्यम से भुगतान	विधेयक में एक नया प्रावधान शामिल करके इस समस्या का समाधान किया गया है।	सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के बिलों का भुगतान ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य एमएसएमई के सामने आने वाली भुगतान संबंधी समस्याओं का समाधान करना है। राज्य अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई), प्राधिकरणों या संस्थाओं को बिलों के भुगतान के लिए ट्रेड्स का इस्तेमाल करने का निर्देश दे सकते हैं। राज्य योजनाओं के लाभ राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मंचों पर पंजीकृत एमएसएमई को भी दिए जा सकते हैं।

सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) फ्रेमवर्क	राज्य सरकारें एक या एक से अधिक एमएसई सुविधा परिषदें स्थापित कर सकती हैं।	राज्य सरकारें भुगतान संबंधी विवादों के त्वरित समाधान के लिए कई एमएसईएफसी (मध्यवर्ती, माध्यमिक और माध्यमिक, वित्तीय और वित्तीय केंद्र) स्थापित कर सकती हैं। उन्हें आवश्यकतानुसार पर्याप्त बुनियादी ढांचा और संसाधन, जिनमें भौतिक बुनियादी ढांचा, डिजिटल प्रणाली और प्रशिक्षित मानव संसाधन शामिल हैं, उपलब्ध कराने का भी अधिकार है।
मध्यस्थता और विवाचन	एमएसईएफसी या संदर्भित मध्यस्थता सेवा प्रदाता भुगतान विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए अधिकृत हैं। यदि मध्यस्थता सफल नहीं होती है, तो विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है।	केंद्र सरकार ऑनलाइन मध्यस्थता या मध्यस्थता के लिए एक ऑनलाइन तंत्र स्थापित कर सकती है। मध्यस्थता और मध्यस्थता के लिए विशिष्ट समयसीमा निर्धारित की गई है: एमएसईएफसी या मध्यस्थता सेवा प्रदाता को पहली सुनवाई की निर्धारित तिथि से 90 दिनों के भीतर मध्यस्थता पूरी करनी होगी। यदि मध्यस्थता समाप्त हो जाती है, तो एमएसईएफसी को 30 दिनों के भीतर मामले को मध्यस्थता के लिए भेजना होगा। एमएसईएफसी या वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाली संस्था या केंद्र को दलीलें पूरी होने के 90 दिनों के

		भीतर मध्यस्थता निर्णय देना होगा।
विवाद समाधान	परिषद के आदेश/ पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन अदालत में पुरस्कार राशि का 75% जमा करने के बाद दायर किया जा सकता है।	विधेयक ऐसे आवेदनों की अनुमति भी देता है। आवेदन लंबित रहने के दौरान, न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि जमा राशि का एक उचित हिस्सा एमएसएमई आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाए। न्यायालय एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान का निर्देश तब देगा जब किसी डिक्री, अवार्ड या आदेश को रद्द करने का आवेदन छह महीने से अधिक समय तक लंबित रहता है। भुगतान अवार्ड की राशि का कम से कम 50% होना चाहिए।
बकाया राशि की वसूली	विधेयक में एक नया प्रावधान शामिल करके इस समस्या का समाधान किया गया है।	मध्यस्थता की ओर से किए गए समझौते या मध्यस्थता निर्णय को 'भू-राजस्व बकाया' के रूप में वसूला जा सकता है। यह सुविधा परिषद, मध्यस्थता सेवा प्रदाता या वैकल्पिक विवाद समाधान संस्था की ओर से धारा 18 के अंतर्गत किए गए समझौतों या निर्णयों पर लागू होता है। वसूली जिला कलेक्टर, उपायुक्त या किसी अन्य अधिसूचित प्राधिकारी के माध्यम से की जा सकती है। अधिसूचित प्राधिकारी के पास क्रेता की संपत्तियों के स्थान पर अधिकार क्षेत्र होना चाहिए।

अपराधों का गैर-आपराधिकीकरण	जानबूझकर गलत पंजीकरण जानकारी प्रदान करने पर पहली बार दोषी पाए जाने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना और बाद के मामलों में 1,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। वार्षिक खातों में एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को बकाया राशि की जानकारी न देने पर कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।	पंजीकरण न कराना या जानकारी न देना: पहले इन उल्लंघनों के लिए सजा और जुर्माना होता था। अब इन दंडात्मक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। गलत जानकारी देना: पहली बार चेतावनी जारी की जाएगी, और दूसरी और उसके बाद की बार जुर्माना लगाया जाएगा। खरीदारों की ओर से बकाया राशि का खुलासा न करना: अब पहली बार चेतावनी, दूसरी बार जुर्माना और तीसरी और उसके बाद की बार जुर्माना लगाया जाएगा।
-----------------------------------	--	--

डिजिटल और संस्थागत मदद

विधेयक की ओर से शुरू किए गए सुधारों को एमएसएमई इकोसिस्टम में स्थापित डिजिटल प्लेटफॉर्म और संस्थागत तंत्रों का सहयोग मिला है।

औपचारिक मान्यता का विस्तार: उद्यम पंजीकरण पोर्टल एमएसएमई को एक निःशुल्क, कागज रहित और स्व-घोषणा आधारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आधिकारिक मान्यता प्रदान करता है। उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक मान्यता देकर इस पहल को आगे बढ़ाता है। इसमें अधिकृत भागीदारों द्वारा सत्यापित आंकड़ों के आधार पर जीएसटी पंजीकरण या आयकर प्रणाली के अंतर्गत न आने वाले उद्यम भी शामिल हैं।

वित्तपोषण तक पहुंच में सुधार: ट्रेड्स एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है, जो एमएसएमई को व्यापार प्राप्य राशियों का वित्तपोषण या छूट प्राप्त करने के योग्य बनाता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित होता है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से छूट प्राप्त इनवॉइस का मूल्य 2022-23 में ₹40,000 करोड़ से 2025-26 में ₹3.47 लाख करोड़ हो गया।

ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) को सक्षम बनाना: ओडीआर पोर्टल जून 2025 में शुरू किया गया था। यह एमएसई को विलंबित भुगतान विवादों, जिनमें छोटे मूल्य के दावे भी शामिल हैं, के समाधान के लिए एक कम लागत वाला, संपूर्ण डिजिटल तंत्र प्रदान करता है।

एमएसईएफसी नेटवर्क को मजबूत बनाना: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 161 एमएसईएफसी स्थापित किए गए हैं। एमएसईएफसी का उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की ओर से भुगतान में देरी से उपजे विवादों का निपटान करना है।

निष्कर्ष

एमएसएमई विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य लघु उद्यम से विकासशील व्यवसाय बनने की दिशा में एमएसएमई की यात्रा की नींव को सुदृढ़ करना है। यह एमएसएमई को बदलते कारोबारी परिवेश में संचालन और विस्तार करने में सहायता के लिए एक मजबूत नियामक फ्रेमवर्क प्रदान करता है।

संदर्भ:

राज्य सभा:

<https://sansad.in/rs/legislation/bills>

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय:

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2296358®=48&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2209712&lang=1®=3>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2284414®=3&lang=1>

वित्त मंत्रालय:

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2219984®=48&lang=2>

पीआईबी अभिलेखागार:

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2278107®=48&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2260904&lang=1®=3>

अन्य:

<https://prsindia.org/billtrack/the-micro-small-and-medium-enterprises-development-amendment-bill-2026>

पीआईबी शोध

पीके/केसी/एमएम